

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 456


दिनांक :- 21.7.21

॥ कार्यालय आदेश ॥

माह अगस्त, 2021 में अग्रलिखित राजकीय अवकाशों के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/ अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के सम्स्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं० न्यायालय का नाम	गोबाईल नम्बर	दिनांक
01. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	9784136385	01.08.2021
02. न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	9785599527	08.08.2021
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	14.08.2021
04. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	15.08.2021
05. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	9799820956	19.08.2021
06. न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9829175166	22.08.2021
07. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	7793029621	28.08.2021
08. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	7793029621	29.08.2021
09. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9829175166	30.08.2021

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त ड्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है, तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही संबंधित अधिकारी के ड्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 456

दिनांक :- 21.7.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / उनियारा / मालपुरा / निवाई
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / देवली / टोडारायसिंह / मालपुरा / उनियारा / निवाई / दूरी
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली / न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
- पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
- अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
- जिला आवकाशी अधिकारी, टोंक
- सहायक रामादेश्य निरोधक दल, टोंक
- पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक
- प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक